कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

विभाग द्वारा जारी **प्रधानाचार्य–उमावि एवं समकक्ष** के स्थानान्तण सम्बन्धी आदेशांक : शिविरा/मा/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना–स्थाना/2018 दिनांक 19–05–2018 के द्वारा श्री गोविन्दराम प्रधानाचार्य राउमावि भाण्डूकलां, लूणी जोधपुर से राउमावि सिहांडा जोधपुर तथा श्री शक्तिसिहं चाम्पावत, प्रधानाचार्य को राउमावि सिहाडा जोधपुर से भाण्डूकला लूणी जोधपुर लगाया गया था। श्री गोविन्दराम का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किये जाने के कारण इन्हे यात्रा भत्ता एवं योगकाल की दैयता का अंकन भी उक्त आदेश में किया गया था।

दिव्यांग अभ्यर्थी श्री गोविन्दराम द्वारा माननीय् राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या एस.बी सिविल रिट पिटीशन संख्या– 7220/2018 दायर की गई, जिस पर मानानीय् न्यायालय द्वारा याचिकार्थी की दिव्यांगता के मध्य नजर स्थानान्तरण आदेश दिनांक 19–05–2018 के क्रियान्वयन पर तत्काल स्थगन प्रदान किया गया है। **माननीय् न्यायालय द्वारा प्रदत्त उक्त स्थगन की पालना में श्री गोविन्दराम प्रधानाचार्य (दिव्यांग अभ्यर्थी को) को पूर्व की भान्ति यथावत राउमावि0 भाण्डूकलां लूणी जोधपुर पदस्थापित किया जाता है।**

विभाग के उक्त आदेश के अन्तिम पैरा में अंकित निर्देशानुसार दिव्यांग/ विधवा महिला के स्थान पर किये गये स्थानान्तरण के प्रकरणों में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे, विभागीय निर्देशों की अवहेलना किये जाने, शाला–दर्पण के माध्यम से ऑन लाईन कार्यग्रहण किये जाने के निर्देशों के बावजूद दिव्यांग अभ्यर्थी के स्थान पर ऑफलाईन कार्यग्रहण कर लिये जाने के आधार पर **श्री शक्तिसिहं चाम्पावत को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय–बीकानेर हेतु एपीओ/ आदेश की प्रतीक्षा में किया जाता है। सम्बधित कार्मिक उक्त आदेशों की तत्काल पालना सुनिश्चित करावें।**

(हस्ताक्षर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रं :: शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना–स्थाना/या सं 7220/2018 दि 28.5.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1 उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2 सम्बन्धित शिक्षा उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
3 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रथम/द्वितीय।
4 सम्बन्धित संस्था प्रधान/ कार्मिक को पालनार्थ।
5 एनॉलिस्ट कम प्रोग्रॉमर, कम्प्यूंटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6 अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा को सूचनार्थ।
7 गार्ड पंजिका/ रक्षित पत्रावली हेतु।

(हस्ताक्षर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

5

Scanned by CamScanner